File No. HOUS2-LUC/LUC/7/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 29230)
I/87547/2022
I/87547/2022

KOF in ... गार्ड पत्रावली

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
ई पत्रावली संख्या– 29230
देहरादून, दिनांकः 30 दिसम्बर, 2022।

अधिसूचना

चूंकि, रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या–2011/एलएमबी/डब्ल्यूएस/22/07/25/पी0टी0–1, दिनांकः 17.10.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों में यह उल्लिखित किया है कि रेलवे/आर.एल.डी.ए./आई.आर.एस.डी.सी., साधारणतः "राष्ट्रीय अभिवहन परक् विकास नीति का अनुसरण करते हुए रेल अधिनियम, 1989 की धारा 11 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के निबन्धनों में अपनी योजनाओं का अनुमोदन करने के उपरांत नगरीय स्थानीय निकायों/अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से परामर्श करेगा, ताकि रेल भूमि का विकास आसपास के विकास के समनुरूप हो;

और चूंकि पूर्वोक्त पत्र में यह भी उल्लिखित है कि वाणिज्यिक उपयोग हेतु रेल भूमि का विकास करने के लिए रेल द्वारा सम्पूर्ण भारत में भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है;"

अतएव, अब उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1973), जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 53 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु महायोजना या आंचलिक विकास योजना में कतिपय संशोधन किये जाने की अपेक्षा से उत्तराखण्ड की रेल भूमि को निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करते हैं:–

(एक) रेल द्वारा प्रस्तावित आवासीय और वाणिज्यिक विकास के कारण उस क्षेत्र में बाह्य अवसरंचनात्मक सुविधाओं तथा यातायात पर दबाव बढ़ेगा, अतएव विकास शुल्क का संदाय रेल विभाग/रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण को नियमानुसार किया जायेगा।

(दो) प्रश्नगत स्थल की पार्श्वस्थ महायोजना में भू–उपयोग की पुष्टि करके रेल भूमि का विकास/निर्माण किया जायेगा।

(तीन) रेल भूमि का विकास, लागू भवन सन्निर्माण तथा विकास उपविधियों में अभिकथित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)

आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
पत्र क्रमांक सं0 2104
दि0 03.01.2023
देहरादून

Signed by Anand Bardhan
Date: 30-12-2022 00:28:41

अपर मुख्य सचिव

— 2 —

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— चेयरमेन, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
6— आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून।
7— उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8— उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
9— अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग—4 के संबंधित खण्ड में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12— निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
13— गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 30/12/2022 12:12 PM